छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा | पंचम सत्र | अंक-09

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 07 मार्च, 2025

(फाल्गुन 16, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 (कुल 07) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 53 तारांकित एवं 73 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

(तारांकित प्रश्न संख्या 07 की चर्चा में शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया।)

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (क्रमांक 42 सन् 2005) की धारा 12 की उपधारा (3) के पद (च) की अपेक्षानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024,

(2) श्री श्याम बिहारी जायसवाल, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) की धारा 43 की अपेक्षानुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2023-24 (दिनांक 01 जुलाई, 2023 से 30 जून, 2024),

पटल पर रखे।

4. पृच्छा

श्रीमती संगीता सिन्हा, श्री अटल श्रीवास्तव एवं श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने अपने-अपने क्षेत्रों की विविध समस्याओं के संबंध में आसंदी का ध्यानाकर्षित किया।

5. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि- आज की कार्य-सूची में 56 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक-22 (6) के तहत शामिल किया गया है। इनमें से क्रमश: प्रथम दो ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे । उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा । लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी । संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।)

(1) श्री रिकेश सेन, सदस्य ने छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की मुख्य एवं अवसर परीक्षा की अंकसूची की द्वितीय प्रति विद्यार्थियों को प्रदाय नहीं किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य ने जिला महासमुंद में धान खरीदी केन्द्रों से धान का उठाव नहीं होने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री दयालदास बघेल, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री के द्वारा इस पर जो वक्तव्य दिया जा रहा था, वह माननीय सदस्य श्रीमती चातुरी नंद एवं विधान सभा सचिवालय को उपलब्ध कराये गये लिखित उत्तर से भिन्न होने पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी।

6. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि- विधान सभा के पटल पर रखने हेतु जो वक्तव्य विधान सभा को दिया है और आप जो जवाब पढ़ रहे हैं, दोनों में विरोधाभास और फर्क है, या तो ये जवाब सही है या आप जो जवाब दे रहे हैं? क्या आपने विधान सभा से इस वक्तव्य के बाद और वक्तव्य देने के लिए अतिरिक्त अनुमति मांगी है ? इसकी सूचना विधान सभा को नहीं है। हमेशा उस वक्तव्य को पढ़ा जाता है, जो कि पटल पर रखा जाता है, उसके अतिरिक्त नहीं पढ़ा जाता। कृपया सभी मंत्रीगण, इस बात को नोट करें कि उतना ही पढ़ना चाहिए तथा बाद में प्रश्न और उत्तर में वे अतिरिक्त आयेंगे। मेरे पास जो जवाब है, वह बहुत संक्षिप्त है और आप जो पढ़ रहे हैं, तीन पेज का जवाब पढ़ रहे हैं। ये देख लीजिए। अधिकारी भी इस बात को देखें कि विधान सभा में बिना सूचना के इस प्रकार का वक्तव्य नहीं पढ़ा जाता।

माननीय मंत्री जी जो उत्तर आप पढ़ रहे हैं, वह माननीय सदस्य के पास भी उपलब्ध नहीं है। ये जवाब माननीय सदस्य के पास उपलब्ध रहना चाहिए, जो कि मंत्रीगण पढ़ते हैं। उसके अतिरिक्त जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि वह प्रश्न कैसे करेंगे ? उनको प्रश्न करने के लिए मंत्री जी का संपूर्ण जवाब मिलना चाहिए। ये बड़ी भूल है। इस प्रकार की गलतियां नहीं होनी चाहिए। मैं इस पूरे ध्यानाकर्षण को आज न लेते हुए अगले सप्ताह सोमवार के बाद ले लूंगा । इसे मैं यहीं समाप्त करता हूं, क्योंकि जवाब आपको नहीं मिला है ।

7. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार कार्यसूची के पद 3 के उप पद (03) से (56) तक सूचना देने वाले सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने जायेंगे । सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

(3) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, ब्यास कश्यप, धर्मजीत सिंह

(4) डॉ. चरणदास महंत

(5) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल

(6) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल

(7) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल

(8) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल

(9) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल

(10) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल

(11) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल

(12) श्रीमती अनिला भेंडिया

(13) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह

(14) श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती भावना बोहरा, श्री धर्मजीत सिंह

(15) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह

(16) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह

(17) श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती भावना बोहरा,

(18) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह

(19) श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती भावना बोहरा

(20) श्रीमती अनिला भेंडिया

(21) श्री बघेल लखेश्वर

(22) श्री दिलीप लहरिया

(23) श्री उमेश पटेल

(24) श्री उमेश पटेल

(25) श्री उमेश पटेल

(26) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह

(27) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह

(28) श्री धरमलाल कौशिक

(29) डॉ. चरणदास महंत

(30) श्री गजेन्द्र यादव

(31) डॉ. चरणदास महंत, श्री विक्रम मंडावी, श्रीमती चातुरी नंद

(32) श्री भईयालाल राजवाडे

(33) श्री राजेश मूणत

(34) श्री राजेश मूणत

(35) श्री धरमलाल कौशिक

(36) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्रीमती कविता प्राण लहरे, श्री द्वारिकाधीश यादव

(37) श्री विक्रम मंडावी

(38) श्री ब्यास कश्यप

(39) श्री दलेश्वर साहू

(40) श्री अनुज शर्मा

(41) श्रीमती भावना बोहरा

(42) श्री अनुज शर्मा

(43) श्री बालेश्वर साहू

44) श्री दलेश्वर साहू

(45) श्री दलेश्वर साहू

(46) श्रीमती भावना बोहरा

(47) श्रीमती शेषराज हरवंश, श्रीमती चातुरी नंद, श्री संदीप साहू

(48) श्री लालजीत सिंह राठिया

(49) श्री इन्द्र साव

(50) श्री द्वारिकाधीश यादव

(51) श्री जनक ध्रुव

(52) श्रीमती चातुरी नंद

(53) श्रीमती चातुरी नंद

(54) सर्वश्री रिकेश सेन, सुशांत शुक्ला

(55) श्री विक्रम मंडावी

(56) श्री बालेश्वर साहू

8. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

मानदीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री अजय चन्द्राकर

(2) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह

(3) श्री बघेल लखेश्वर

9. वर्ष 2025-2026 की अनुदान मांगों पर मतदान

(1) श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(सभापति महोदया (सुश्री लता उसेण्डी) पीठासीन हुईं।)

10. सदन को सूचना

मानननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि- आज भोजन की व्यवस्था माननीय श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिये लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गयी है । कृपया, सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

11. वर्ष 2025-2026 की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमश:)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री ने वन से संबंधित मांग संख्या10-, सहकारिता से संबंधित मांग संख्या17-, जल संसाधन विभाग से संबंधित मांग संख्या 23, लघु सिंचाई निर्माण कार्य से संबंधित मांग संख्या45-, कौशल विकास से संबंधित मांग संख्या 47, जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं से संबंधित मांग संख्या57-, जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं से संबंधित मांग संख्या 75, राज्य विधान मण्डल से संबंधित मांग संख्या 28-प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-10 पर श्री लखेश्वर बघेल, श्रीमती शेषराज हरवंश, सर्वश्री संदीप साहू, दिलीप लहरिया, लालजीत सिंह राठिया, फूलसिंह राठिया, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, **मांग संख्या-17** पर श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, श्री दिलीप लहरिया, श्रीमती शेषराज

हरवंश, श्री संदीप साहू, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, **मांग संख्या-23** पर श्री लखेश्वर बघेल, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्री दिलीप लहरिया **मांग संख्या-45** पर श्री संदीप साहू , **मांग संख्या-47** पर श्री लखेश्वर बघेल, श्रीमती शेषराज हरवंश, सर्वश्री संदीप साहू, दिलीप लहरिया सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

श्री विक्रम मण्डावी, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री लखेश्वर बघेल) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, लालजीत सिंह राठिया, किरण देव, अटल श्रीवास्तव, धरमलाल कौशिक,

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

श्रीमती संगीता सिन्हा,

(सभापति महोदया (सुश्री लता उसेण्डी) पीठासीन हुईं।)

श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, सर्वश्री अनुज शर्मा, जनक ध्रुव,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री रोहित साहू, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, श्रीमती रायमुनी भगत, श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा, सुश्री लता उसेण्डी, श्री योगेश्वर राजू सिन्हा,

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से सभा के समय में सायं 7.00 बजे तक वृद्धि की घोषणा की।)

डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष,

श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची में सम्मिलित पद क्रमांक 05 अशासकीय संकल्प अगले कार्य दिवस शुक्रवार को लिये जाने की घोषणा की।)

सायं 7.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 10 मार्च, 2025 (फाल्गुन-19, शक संवत् 1946) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा